


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2014/आषाढ़ 27, 1936

No. 371]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2014/ASHADHA 27, 1936

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 509(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक-तार (चयन ग्रेड पद) भर्ती नियमावली, 1976; जहां तक कि वह डाकघरों में उच्चतर चयन ग्रेड I और रेलवे डाक सेवा कार्यालयों में उच्चतर चयन ग्रेड-I के पदों से संबंधित है, का उन बातों के सिवाय, अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में उच्चतर चयन ग्रेड-I के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग, डाकघर और रेलवे डाक सेवा कार्यालय में उच्चतम चयन ग्रेड-I, ग्रुप "ख" पद भर्ती नियमावली, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन पत्र.—ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट पदों के मामले में लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे जो कि उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं इत्यादि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निर्हस्ताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगे।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व-सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद अथवा गैर- चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
1. डाकघरों में उच्चतर चयन ग्रेड-I	1741* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रु. + 4200 रु. ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति-सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा टिप्पणी: उच्चतर चयन ग्रेड-I के वे पद जो कुछ सीमा तक उच्चतर चयन ग्रेड-II स्तर के पात्र अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण प्रोन्नति द्वारा नहीं भरे जा सके, का प्रचालन उच्चतर चयन ग्रेड-II के स्तर पर तब तक किया जाएगा जब तक उच्चतर चयन ग्रेड-II के पद को नियमित आधार पर धारण करने वाले अधिकारी प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं हो जाते।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना किस प्रकार की है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
11	12	13
प्रोन्नति डाकघरों में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और 4200 रु. के ग्रेड वेतन सहित उच्चतर चयन ग्रेड-II के पदधारी जिन्होंने इसी ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है तथा उच्च पद से जुड़े कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित दो सप्ताह का विभागीय प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।	ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए में निम्न शामिल होंगे— 1. निदेशक, डाक सेवाएं —अध्यक्ष; 2. सहायक पोस्टमास्टर जनरल —सदस्य; 3. वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

<p>टिप्पणी 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर डाकघरों में नियमित आधार पर उच्चतर चयन ग्रेड-II के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए अर्हक सेवा तीन वर्ष ही रहेगी।</p> <p>टिप्पणी 2: यदि प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने वाले किसी अधिकारी ने प्रशासनिक कारणों से प्रोन्नति से पहले प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, वह/वे प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र रहेंगे बशर्ते कि ऐसा (ऐसे) अधिकारी प्रोन्नति के बाद एक वर्ष की अवधि के अंदर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे।</p> <p>टिप्पणी 3: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी 4: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से 1.1.2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समरूपी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा।</p>	
--	--

1	2	3	4	5	6
2. रेलवे डाक सेवा में उच्चतर चयन ग्रेड-I	413* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, गुप 'ख', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रु. + 4600 रु. ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा टिप्पणी : उच्चतर चयन ग्रेड-I के वे पद जो कुछ सीमा तक उच्चतर चयन ग्रेड-II स्तर के पात्र अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण प्रोन्नति द्वारा नहीं भरे जा सकें, का प्रचालन उच्चतर चयन ग्रेड- II के स्तर पर तब तक किया जाएगा जब तक उच्चतर चयन ग्रेड- II के पद को नियमित आधार पर धारण करने वाले अधिकारी प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं हो जाते।

11	12	13
<p>प्रोन्नति :</p> <p>रेलवे डाक सेवा कार्यालयों में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और 4200 रु. के ग्रेड वेतन सहित उच्चतर चयन ग्रेड-II के पदधारी जिन्होंने इसी ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है तथा उच्च पद से जुड़े कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित दो सप्ताह का विभागीय प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।</p> <p>टिप्पणी 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर डाकघरों में नियमित आधार पर उच्चतर चयन ग्रेड-II के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए अर्हक सेवा तीन वर्ष ही रहेगी।</p> <p>टिप्पणी 2: यदि प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने वाले किसी अधिकारी ने प्रशासनिक कारणों से प्रोन्नति से पहले प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, वह/वे प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र रहेंगे बशर्ते कि ऐसा (ऐसे) अधिकारी प्रोन्नति के बाद एक वर्ष की अवधि के अंदर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे।</p> <p>टिप्पणी 3: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी कार्यावधि अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी 4: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से 1.1.2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समरूपी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा।</p>	<p>ग्रुप 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्न शामिल होंगे—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, डाक सेवाएं – अध्यक्ष; 2. सहायक पोस्टमास्टर जनरल – सदस्य; 3. वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर – सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

[फा. सं. 4-26/2009-एसपीबी. II]

एन. टी. पेटे, निदेशक (एसपीएन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2014

G.S.R. 509(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Posts and Telegraphs (Selection Grade Posts) Recruitment Rules, 1976, in so far as they relate to the posts of Higher Selection Grade-I in Post Offices and Higher Selection Grade-I in Railway Mail Service Offices, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Higher Selection Grade-I in Post Offices and Railway Mail Service Offices in the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Posts, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Posts, Higher Selection Grade-I in Post Offices and Railway Mail Service Offices, Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Higher Selection Grade-I in Post Offices	1741* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Pay band-2, ₹9300-34800 plus grade pay of ₹4600	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
10	11
<p>By promotion</p> <p>NOTE:- The posts of Higher Selection Grade-I, to the extent which could not be filled up by promotion due to non-availability of eligible officers in the level of Higher Selection Grade-II, shall be operated at the level of Higher Selection Grade-II, till such time the officers holding the post of Higher Selection Grade-II, on regular basis become eligible for consideration for promotion.</p>	<p>Promotion: Officers holding the post of Higher Selection Grade-II in Post Offices in the pay scale of ₹9300-34800 with grade pay of ₹4200 in pay band-2 with five years of regular service in the grade and have successfully completed two weeks Departmental Training related to the duties and responsibilities of the higher post.</p> <p>Note 1: The eligibility service for person holding the post in Higher Selection Grade-II on regular basis on the date of notification of these rules shall continue to be three years.</p> <p>Note 2: If any officer(s) included in the field of consideration for promotion has not undergone the training before promotion due to any administrative reasons, he/they shall continue to be eligible for consideration for promotion, subject to the condition that such officer(s) shall undergo successful training within a period of one year after promotion.</p> <p>Note 3: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 4: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
12	13
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—</p> <p>1. Director, Postal Services — Chairman</p> <p>2. Assistant Postmaster General — Member</p> <p>3. Senior Superintendent of Post Offices — Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

1	2	3	4
2. Higher Selection Grade-I in Railway Mail Service Offices	413* (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Pay band-2 ₹ 9300-34800 plus grade pay of ₹ 4600

5	6	7	8	9
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11
<p>By promotion. NOTE:— The posts of Higher Selection Grade-I, to the extent which could not be filled up by promotion due to non-availability of eligible officers in the level of Higher Selection Grade-II, shall be operated at the level of Higher Selection Grade-II till such time the officers holding the post of Higher Selection Grade-II, on regular basis become eligible for consideration for promotion.</p>	<p>Promotion: Officers holding the post of Higher Selection Grade-II in Railway Mail Service Offices in pay band-2, ₹9300-34800 with grade pay of ₹4200 with five years of regular service in the grade and have successfully completed two weeks Departmental Training related to the duties and responsibilities of the higher post. Note 1: The eligibility service for person holding the post in Higher Selection Grade-II on regular basis on the date of notification of revised rules shall continue to be three years. Note 2: If any officer(s) included in the field of consideration for promotion has not undergone the training before promotion due to any administrative reasons, he/they shall continue to be eligible for consideration for promotion, subject to the condition that such officer(s) shall undergo successful training within a period of one year after promotion. Note 3: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Note 4: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>

12	13
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Director, Postal Services 2. Assistant Postmaster General 3. Senior Superintendent of Railway Mail Services</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p> <p>–Chairman –Member –Member.</p>

[F. No. 4-26/2009-SPB. II]

N. T. PAITE, Director (SPN)